International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 05-12-2021, Accepted: 21-12-2021, Published: 06-01-2022
Volume 8; Issue 1; 2022; Page No. 13-15

भारतीय संविधान द्वारा चयनित संसदीय प्रणाली–विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रमिला शक्तावत[1], बबीता कंवर[2]

[1] सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

[2] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

लोकतन्त्रात्मक संवैधानिक राष्ट्र भारत में शासन व्यवस्था का संचालन संसदीय शासन प्रणाली द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद की प्रधानता होती है।भारतीय संविधान सभा में इस प्रश्न पर विस्तृत विचार हुआ कि भारतीय लोकतन्त्र में शासन व्यवस्था के कौनसे रूप को अपनाया जाये,अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय तक 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अन्तर्गत संसदीय व्यवस्था का अनुभव प्राप्त हो गया था। इसी अनुभव से भारतीय परिचित हुये कि संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालिका को जन–प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका,विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उतरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। अतः संविधान सभा ने बहुत विचार–विमर्श के बाद भारत के लिए ब्रिटिश मॉडल की संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया।

मूलशब्द: संवैधानिक राष्ट्र, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटिश मॉडल

प्रस्तावना

संवैधानिक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन–व्यवस्था का संचालन होता हैं। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है,जिसे उस देश की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभाद्वारा बनाया गया हो। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और संविधान निर्मात्री सभा ने सम्पूर्ण शासन व्यवस्था को संसदीय शासन प्रणाली द्वारा संचालित करना स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान सभा के सामने एक अन्य शासन व्यवस्था भीविद्यमान थी,वह थी– अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यह दोनों शासन व्यवस्थाएँ एक–दूसरे के विपरीत है। यह शक्तियों के अलग–अलग अस्तित्व के सिद्वान्त पर कार्य करता है।

अध्ययन का उद्देश्य: प्रस्तुत शोध पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया हैं

1. भारतीय संसदीय व्यवस्था की प्रकृति का अध्ययन
2. संसदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली के भेद को समझना।
3. संविधान सभा द्वारा चयनित संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार करने के कारणों पर प्रकाश डालना।

शोध प्रविधि: इस शोध पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश रूप से द्वितीय स्त्रोतों से ग्रहण की गई है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों,पत्र–पत्रिकाओं,विभिन्न आलेख,शोध–पत्र व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है,इसके साथ ही शोध पत्र के लिए व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है।

संसदीय शासन प्रणाली: संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य गहन संबंध होता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये एक–दूसरे से तालमेल बनाकर काम करे और आपस में संतुलन बनाए रखे। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक–दूसरे पर आश्रित है,विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका एवं विधायिका में समन्वय रहता है और दोनों समान व्यक्तियों को नियन्त्रण में सयुक्त रूप से कार्य करती है। वह सरकार संसदात्मक कहलाती है। संसदात्मक प्रणाली में राज्य का मुखिया (राष्ट्रपति) तथा सरकार का मुखिया (प्रधानमंत्री) अलग–अलग होते हैं। इस शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है– (अ) नाममात्र की कार्यपालिका (ब) वास्तविक कार्यपालिका, यह उतरदायित्व के सिद्वान्त पर संगठित होती है। इस शासन व्यवस्था में नाममात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है,राज्य का प्रधान नाममात्र की कार्यपालिका में भेद होता है,राज्य का प्रधान नाममात्र की कार्यपालिका व मंत्रीपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका होती है।

सरकार के गठन की प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 74:** अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।इसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति,मंत्रिमण्डल पर सहमति देता है।
- **अनुच्छेद 75:** प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है,वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (।) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।

अब शोध पत्र के अगले चरण में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएँ,गुण–दोष का अध्ययन करेंगे,जिससे यह स्पष्ट कर सके कि संविधान–सभा द्वारा संसदीय शासन प्रणाली का चयन आधार क्या था।

संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएँ

1. बहुमत प्राप्त दल का शासन
2. लोकसभा के प्रति सामूहिक उतरदायित्व

3. नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका
4. केन्द्रीय नेतृत्व
5. दोहरी सदस्यताः–(विधायिका व कार्यपालिका दोनों के)
6. द्विसदनीय विधायिका
7. गोपनीयता

संसदीय शासन प्रणाली के गुण

1. **व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्यः** संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक सहयोग के आधार पर श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण और जन कल्याणकारी प्रशासन सम्भव होता है।
2. **शासन व्यवस्था जनता के प्रति उतरदायीः** संसदात्मक शासन में मंत्री संसद के प्रति उतरदायी होते है तथा संसद के माध्यम से जनता जनार्दन के प्रति उतरदायी होते है। मंत्रीगण अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखकर कार्य करते है। इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में लोकमत का उचित आदर होता है।
3. **सरकार निरंकुश नही हो पातीः** संसदीय शासन में सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उतरदायी होती है,इसलिए वह सभी निरंकुश नही हो पाती।
   व्यवस्थापिका में विद्यमान विरोधी दल शासन अंकुश बनाए रखने का कार्य करता है।
4. **अवसरानुकूल परिवर्तनशीलताः** संसदीय शासन में इस बात की गुंजाइश रहती है कि राष्ट्रीय संकट के किसी अवसर पर राजशक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन किया जा सके। इस शासन व्यवस्था में विपति के अवसर पर व्यवस्थापिका देश के सर्वमान्य नेता को असाधारण शक्ति प्रदान कर सकती है और सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मिले–जुले मंत्रिमण्डल का निर्माण किया जा सकता है।
5. **योग्यतन, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासनः** व्यवस्थापिका के जिन सदस्यों का अपने अनुभव एवं योग्यता के आधार पर अपने राजनीतिक दल और देश की राजनीति में बहुत अधिक लोकप्रियता और सम्मान प्राप्त हो जाता है,वे व्यक्ति साधारणतया मंत्रिमण्डल के सदस्य नियुक्त किए जाते है। इनके द्वारा शासन का संचालन जनहित के लिए ही किया जाता है।
6. **राजनीतिक शिक्षाः** संसदात्मक शासन में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। जनता व्यवस्थापिका के कार्यों का विवरण रूचिपूर्वक पढ़ती है और सार्वजनिक समस्याओं के सम्बंध में ज्ञान कराती है।

संसदीय शासन प्रणाली के दोष

- **अस्थायित्वः** संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल तो 5 वर्ष निर्धारित है परन्तु वह कार्य तभी कर सकती है जब तक इसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है अर्थात् यदि मंत्रिपरिषद् लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है।
- **गठबंधन की राजनीतिः** संसदीय शासन व्यवस्था में अस्थिर गठबंधन सरकारों का भी निर्माण किया है।इसने सरकारों को सुशासन की व्यवस्था करने के बजाय सता में बने रहने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए पारित किया है।
- **नीतिगत निरंतरता का अभावः** संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है, परिणामस्वरूप नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है।
- **अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासनः** संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीति कार्यपालिका के सदस्य लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते है,उनके पास विशेष ज्ञान का अभाव होता है।
- **शक्तियों का स्पष्ट विभाजनः** कार्यपालिका,विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है।
- **राजनीति का अपराधीकरणः** संसदीय शासन प्रमाण में अपराधी प्रवृति के लोग धनबल व बाहुबल का प्रयोग कर कार्यपालिका का हिस्सा बन रहे है।प्रस्तुत शोध के अगले चरण में हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन में प्रमुख अन्तर समझेगें तभी हमें ज्ञात होगा संविधान सभा द्वारा संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया गयाः
  1. संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान नाममात्र का प्रधान होता है। व्यवहार में उसकी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् द्वारा ही किया जाता है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान न केवल औपचारिक वरन् वास्तविक भी होता है। वही मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वही मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और ये सदस्य पूर्णतया उसके अधीन होते है।
  2. संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है और यह व्यवस्थापिका के प्रति उतरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य विधानमण्डल में उपस्थित होते है और विधि–निर्माण सम्बंधी कार्यों में भाग लेते है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन शक्ति पृथक्करण के सिद्वान्त पर आधारित होता है। इसके अन्तर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र रूप में किया जाता है। कार्यपालिका सदस्य विधि–निर्माण सम्बंधी कार्यों में भाग नहीं ले सकते।
  3. संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता और व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कभी भी कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है इसके विपरित अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है और महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कार्यपालिका को पदच्युत नहीं किया जा सकता।

संसदीय व्यवस्था को स्वीकार करने के कारण

- **व्यवस्था में निकटताः** संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश काल के दौर से भारत में मौजूद थी। परिणामस्वरूप भारत संसदीय व्यवस्था से परिचित था स्वतंत्रता के बाद यदि अन्य शासन व्यवस्था को अपनाते तो उस व्यवस्था को समझने में काफी समय लगता।
- **उतरदायित्वपूर्ण व्यवस्थाः** प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ के.एम. मुंशी के अनुसार ,भारत में संसदीय व्यवस्था में उतरदायित्व

व जवाबदेहिता के सिद्धान्त समावेश किया है,जिसमें यह व्यवस्था भारतीय जन–मानस के अनुकूल हो चुकी थी।

- **विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधानः** संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में सामजस्य का प्रावधान मौजूद था जो स्वतन्त्रता के बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था क्योकि भारतीय शासन व्यवस्था जनता के प्रति उतरदायी थी।
- **भारतीय समाज की प्रकृतिः** भारत विश्व में सर्वाधिक विविधता वाला समाज है। इसलिए संविधान निर्माता ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में प्रत्येक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

भारत द्वारा चयनित संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संदर्भ में अधिक उपयोगी कारगर एवं प्रभावशाली है। इसका चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व के स्थान पर जवाबदेही को महत्व दिया। संसदीय प्रणाली में लचीलापन होता है एवं यह उतरदायित्व एवं नियंत्रण के सिद्धान्त पर कार्य करती है। यह अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरह कठोर नहीं होती भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था होना भी प्रमुख कारण रहा जिससे हम कोरोना जैसी महामारी का सामना कर पाये।

जबसे हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनायी है हम विभिन्न की कठिनाईयों से गुजरते रहे है,प्रत्येक बार हमें यह अवश्य प्रतीत हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था छिन्न–भिन्न होने वाली है,लेकिन संकट गुजरता गया और हमारी संसदीय प्रणाली मजबूत होती गई। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना युक्ति–संगत आधार पर की गई है,इस प्रणाली में सुधार किया जा सकता है,इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी हमें निरन्तर सतर्क रहना चाहिए। जिससे हमारे लोकतंत्र में भी वही विकार उत्पन्न न हो जाए जिससे अनेक राष्ट्र प्रभावित है।

सुझाव

1. विभिन्न राजनीतिक दलों को सिर्फ सता प्राप्ति का ही उद्देश्य नहीं रखना चाहिए अपितु संसद की महानता एवं महत्वता को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।
2. विधायी सदनों का कामकाज काफी लम्बे समय से घटा है एवं बहस की गुणवता में भी गिरावट आयी है,इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. पुखराज जैन, भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा 1990
2. डॉ. सुभाष कश्यप, संसदीय प्रक्रिया, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1991
3. उजागरमल जैन, सुरेन्द्र प्रकार जैन,भारत का संविधान कानूनी डायरी ऑफिस, गाजियाबाद
4. भारती द्विवेदी, 'भारतीय संविधान में भारत के प्रधानमंत्री की उपादेयता एवं महत्व का अध्ययन,शोध पत्र
5. डॉ.सूर्यभान सिहं, भारतीय शासनः भारत के विभिन्न रूपों का संश्लेषण–शोध पत्र
6. श्याममल शक्रधर 'संविधान और संसद' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
7. मिस रिना,ब्रिटिश युग में संसदीय प्रणाली का विकास शोध पत्र
8- NCRT Book Class XI राजनीति विज्ञान
9. www.drishtias.com/hindi/daily updates संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक प्रणाली
10. www.mjprustudypoint.com /2019 – what – is – parliamentary –governance-संसदात्मक शासन– परिभाषा गुण तथा दोष